

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)
 (पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल निम्बाहेडा)

धारा अर्न्तगत -136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट प्र.स. 867 / 2025 दायर दिनांक 9/10/2025 निर्णय दिनांक 21/11/25

रिपोर्ट

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

क.स.	नाम	खाता नम्बर	महोदय जी निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना में बडौदा राज0 क्ष0 ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मुल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।		वर्तमान प्राविष्टी		शुद्ध प्राविष्टी		कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन कलक्टर कपासन आदेश
1	इन्दरपुरा	38	वर्तमान प्राविष्टी 1. रतनी पुत्री मिठु जाट सा. केसरखेडी खातेदार साहिन राजस्थान क्षत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कपासन 2. श्यामुदेवी पत्नि मिठु जाट सा. केसरखेडी खातेदार साहिन राजस्थान क्षत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कपासन		शुद्ध प्राविष्टी 1. रतनी पुत्री मिठु जाट सा. केसरखेडी खातेदार साहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कपासन 2. श्यामुदेवी पत्नि मिठु जाट सा. केसरखेडी खातेदार साहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कपासन		तहसीलदार कपासन की अनुशंघा स्वीकार की जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कपासन के खाता संख्या 38 में वर्तमान मण्डल केसरखेडी के खाता संख्या 38 में वर्तमान प्राविष्टी बडौदा राज0क्ष0 ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कपासन के खातेदार साहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कपासन के अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।		
	हस्ताक्षर पटवारी मय मोहर		हस्ताक्षर मिरदावर	हस्ताक्षर मोहर	तहसीलदार मय	पदेन सहायक कलक्टर कपासन			

तहसील-कपासन
 चित्तौड़-चित्तौड़गढ़ (राज)

तहसीलदार(प्र.अ.) कपासन

सहायक कलक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

